

महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—निरी/170/85-86/पार्ट-6/2008/ 50421-524 दिनांक 31.12.2009

स्थायी आदेश संख्या 01/2009 में संशोधन

विषय:— कारागृहों के निरीक्षण हेतु जारी स्थायी आदेश में संशोधन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय से पूर्व में जारी स्थायी आदेश संख्या 1/2009 क्रमांक निरी/170/85-86/पार्ट-6/2008/34532-631 दिनांक 17.09.2009 के अनुक्रम में निर्दिशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या ज-अन्य विषय में कम संख्या 3 पर निम्न पंक्ति जोड़कर पढ़ा जाये :—

3. प्रत्येक निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर से समय-समय पर प्रसारित स्थायी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

यह स्थायी आदेश तुरन्त प्रभावी होगा।



2009/31/12
(ओमेन्द्र भारद्वाज)

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर
2. समस्त उप महानिरीक्षक कारागार, क्षेत्रीय कार्यालय (जोधपुर—बीकानेर) रेंज—जोधपुर एवं (कोटा—उदयपुर) रेंज—उदयपुर
3. समस्त अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, राजस्थान
4. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
5. समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक, जिला कारागृह 'ए' एवं 'बी' श्रेणी / महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर/जोधपुर
6. समस्त प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, राजस्थान
7. प्रभारी, बाल बंदी सुधारगृह, घूघरा, अजमेर
8. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार, राज0, जयपुर
9. कार्यालय अधीक्षक—स्थायी आदेशों की गार्ड फाईल संधारण हेतु

2009/31/12
(ओमेन्द्र भारद्वाज)

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान, जयपुर